

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१३

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. वीरेंद्र शर्मा 2. वर्तमान धारित पद वैज्ञानिक

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① जिला कोपाल तहसील डूपूर	स्वयं का भकाम	-	50 लाख (60 लाख)	स्वयं एवं पत्नी के नाम	वैक शुद्ध है		
② जिला कोपाल तहसील डूपूर भकाम	-	4.50 एकड़ कृषि भूमि	50 लाख	पत्नी के नाम	-	50000/-	
③ जिला कोपाल तहसील डूपूर	-	1.90 एकड़ कृषि भूमि	30 लाख	पत्नी के नाम	-	20000/-	
④ जिला कोपाल तहसील डूपूर (अकारम)	-	1.90 एकड़	30 लाख	पत्नी के नाम	-	20000/-	

* जहां लागू न हो कोट दोजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके नाम धारित या अर्जित अचल सम्पत्ति के विवरण दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

(Signature)
C. S. V. Sharma

15/1/13